

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 08/2022

1. चन्द्रपाल पुत्र जगराम जाति मेहतर साकिन 1 आरपीएम रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
2. संदीप कुमार पुत्र जगराम जाति मेहतर साकिन 1 आरपीएम रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

— — वादीगण

बनाम

1. जगराम पुत्र जालूराम जाति मेहतर साकिन 1 आरपीएम रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
2. सुनीता कुमारी पुत्री जगराम जाति मेहतर साकिन 1 आरपीएम रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

— — प्रतिवादीगण


निर्णय

दिनांक :- 07/01/22

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से श्री बलवीर मोयल, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 07/01/22 को रणजीत कुमार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे चक नं. 1 आरपीएम के खाता सं. 5 के प.नं. 24/355 की 5.908 हैक्. मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 1/2 हिस्सा मे से वादीगण को 2/3 हिस्सा भूमि का ब.हि.ब. खातेदार घोषित किया जाता है । शेष रकबा प्रतिवादी सं. 1 का यथावत रखा जाता है । तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन एवं रहन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे । खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे । पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो ।

आदेश आज दिनांक 07/01/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।




(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
(राजस्व) पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा